**रांची में, गुरूवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2021 को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग को छोड़कर, अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित रहे।**

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

| | | |
|---|---|---|
| 1. | माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP(Civil) No. 13473/2020 पंकज कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 19.08.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में अपीलकर्त्ता श्री पंकज कुमार को उप समाहर्त्ता के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 11.08.2010 के प्रभाव से अनुसूचित जाति श्रेणी में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का एक छायापद सृजित करते हुए श्री पंकज कुमार को उप समाहर्त्ता के पद पर की गई नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।<br>(कार्योपरांत स्वीकृति) | *1.* **स्वीकृत।** |

## खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

| | | |
|---|---|---|
| 2. | विभागीय अधिसूचना संख्या–1803, दिनांक 31.05.2013 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य आपूर्ति सेवा नियमावली, 2013 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–3849, दिनांक 10.08.2021 –सह–असाधरण गजट संख्या–418, दिनांक 12.08.2021 के आलोक में संशोधन करने के संबंध में। | *2.* **स्वीकृत।** |

**महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग**

3. झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्त्ती तथा सेवा शर्त्त नियमावली, 2006 में आंशिक संशोधन के संबंध में। *3.* **स्वीकृत।**

**महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग**

4. झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली–2021 की स्वीकृति के संबंध में। *4.* **स्वीकृत।**

**उद्योग विभाग**

5. Jharkhand Textile, Apparel & Footwear Policy-2016 की प्रभावी तिथि–19.09.2021 से नई नीति अधिसूचित होने तक अथवा दिनांक–18.09.2022 तक जो भी पहले हो तक अवधि विस्तार के संबंध में। *5.* **स्वीकृत।**

**खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग**

6. जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में e-PoS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मे० लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड एवं मे० इंटिग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड 2+1 वर्षों तक e-PoS मशीनों की Service Support प्राप्त करने हेतु अवधि विस्तार देने की स्वीकृति के संबंध में। *6.* **स्वीकृत।**

## उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के अंतर्गत "झारखण्ड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग के ग्रुप 'ख' एवं 'ग' के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/लिपिक–सह–टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली–2021" के संबंध में। | *7.* | **स्वीकृत।** |

## वित्त विभाग
## (सांख्यिक वित्त प्रभाग)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | बैंकों में सरकारी खातों के संधारण हेतु बैंकों का चयन करने के संबंध में। | *8.* | **स्वीकृत।** |

## स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2021" के गठन के संबंध में। | *9.* | **स्वीकृत।** |

## मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
## (संसदीय कार्य)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | पंचम झारखण्ड विधानसभा का सप्तम (शीतकालीन) सत्र दिनांक 16.12.2021 से दिनांक 22.12.2021 तक आहूत किये जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति। | *10.* | **स्वीकृत।** |

## सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | National Geographic द्वारा Documentary Film के निर्माण पर होने वाले व्यय रु0 2,37,00,000/– (दो करोड़ सैंतीस लाख) मात्र + GST पर मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 का शिथिलीकरण का प्रस्ताव। | *11.* | **स्वीकृत।** |

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

| | | |
|---|---|---|
| **12.** | विभागीय अधिसूचना संख्या–5173, दिनांक 26.11.2012 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली, 2012 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–3849, दिनांक 10.08.2021 –सह– असाधरण गजट संख्या–418, दिनांक 12.08.2021 के आलोक में संशोधन के संबंध में। | *12.* **स्वीकृत।** |

## स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

| | | |
|---|---|---|
| **13.** | वित्तीय वर्ष 2021–2024 की अवधि के लिए "आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना" के कार्यान्वयन एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हरा कार्डधारित लाभुकों को उक्त योजना के तहत् आच्छादित करने हेतु घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान के संबंध में।<br>(कार्योपरांत स्वीकृति) | *13.* **स्वीकृत।** |

ह0/–
**(सुखदेव सिंह)**
**मुख्य सचिव,**
**झारखण्ड**